अपर समाहर्त्ताओं के साथ दिनांक 26.05.2014 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–पंजी अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

आज दिनांक 26.05.2014 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ताओं के साथ विभागीय समीक्षात्मक परिचर्चा की गयी, जिसमें सर्वप्रथम प्रधान सचिव द्वारा मार्च महीने के प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर मई माह में हो रहे बैठक पर खेद एवं आश्चर्य व्यक्त किया गया। उन्हें बताया गया अप्रैल महीने के प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में मार्च महीने के प्रतिवेदनों को संकलित किया गया है। इसमें भी कुछ जिलों से मार्च महीने का प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस पर प्रधान सचिव द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक पिछले माह का प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से सभी जिलों के द्वारा भेजा जाना चाहिए, ताकि गत माह के आकड़े को संकलित कर बैठक में रखा जा सके।

प्रधान सचिव द्वारा बैठक में उपस्थिति की समीक्षा के दौरान अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज के अनुपस्थित रहने तथा उनके स्थान पर वरीय उप समाहर्त्ता की उपस्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि अपरिहार्य कारणों को छोड़ कर अपर समाहर्त्ता निश्चित रूप से विभागीय बैठक में भाग लेंगे।

तदुपरान्त सभी जिलों से कार्यावली बिन्दुवार विशेष एवं विस्तृत समीक्षा की गयी।

1. भू–हदबंदी, भूदान, गैर मजरूआ आम एवं मालिक भूमि के अर्जन, प्राप्ति, वितरण, अधिशेष एवं वितरण अयोग्य भूमि के प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। उपरोक्त सभी प्रकार के भूमि से संबंधित प्रतिवेदन पर परिचर्चा के दौरान कतिपय अपर समाहर्त्ताओं द्वारा अपने भेजे गये प्रतिवेदनों से भिन्नता जाहिर की गयी। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा संधारित ऑकड़े एवं जिलों के ऑकड़ों में कहीं न कहीं त्रुटि है।

2. **(क)** कंडिका–1 में वर्णित सभी प्रकार के भूमि की बेदखली से संबंधित विभाग स्तर पर तैयार किये गये ऑकड़े के आधार पर समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि कई जिलों के आंकड़े अप्राप्त हैं और पूर्व में भी कई बार स्मारित कर सचेत कर आकड़ों को शुद्ध करने का मौका दिया जा चुका है। अतः निदेश दिया गया की माह मई 2014 मासिक बैठक हेतु प्राप्त जिलों के आंकड़ों को अंतिम रूप से शुद्ध आंकड़े माने जायेंगे। निदेश दिया गया कि बेदखली से संबंधित सभी मामले जिलावार ऑकड़ों को विभागीय बेव साईट पर डाल दी जाय तथा अपर समाहर्त्ता ऑकड़ों का शुद्धिकरण कर 15 जून तक विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ई–मेल पर भेजे दें।

(ख) निदेश दिया गया कि सामान्य प्रकृति के सभी प्रकार के जो बेदखली के मामले हैं उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेदखली के मामले की अलग से समीक्षा हेतु ऑकड़ों की आवश्यकता है क्योंकि इसकी आवश्यकता अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण से संबंधित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिये कंडिका– (क) में संधारित ऑकड़ों में से उसी प्रपत्र में

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेदखली से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह बैठक में भेजना सुनिश्चित किया जाय।

निदेश दिया गया कि वेदखली के मामले में सघन अभियान चलायें, जिसमें समाजसेवी संगठनों की भी मदद ली जाय। सभी जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर वेदखली, विकास के अन्य बातें, लोक सूचना के अधिकारों एवं भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु एक नियंत्रण कक्ष का निर्माण किया जाय, जिसकी सूचना दूरभाष संख्या सहित समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराया जाय। सरकारी भूमि का वितरण जिन सुयोग्य श्रेणी के लोगों के बीच किया गया है, उनकें बेदखली के मामलें प्रकाश में आने पर B.L.D.R Act के अन्तर्गत D.C.L.R न्यायालय में मामले दर्ज कराऐं जाऐं।

(ग) निदेश दिया गया कि सभी जिलों में सभी प्रकार के वितरित भूमि का भौतिक सत्यापन भी युद्ध स्तर पर कराने की कार्रवाई की जाय तथा इसकी समय सीमा तय की जाय।

(ध) गैर मजरूआ जमीन के वितरण का मासिक लक्ष्य निर्धारित करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को दिया गया। सभी अपर समाहर्त्ता निर्धारित लक्ष्य एवं उक्त अवधि में गैर मजरूआ जमीन बाटने का रकवा सहित विभाग को अवगत करायेंगे। ताकि लक्ष्य के आधार पर अगले बैठक की समीक्षा की जा सकें।

(कार्रवाई– विभाग एवं सभी जिला)

3. <u>भूदान</u> :–

अध्यक्ष भूदान समिति द्वारा भूदान पक्ष के संबंध में कठिनाईयाँ बतलाया गया, जिसके चलते लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है :–

(i) बहुत सारे भूमि सम्पुष्टि के मामले D.C.L.R के यहॉ लम्वित है, इस संबंध में सभी प्रधान सचिव द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि मंत्री भूदान यज्ञ समिति को बुला कर बैठक का आयोजन करें। उनसे सम्पुष्ट वितरण योग्य भूमि/वितरण अयोग्य भूमि की सूची प्राप्त कर उसकी भौतिकी जाँच करायें एवं अगली बैठक के पूर्व उसके प्राप्त प्रतिवेदन से विभाग को अवगत करायेंगे तथा D.C.L.R के न्यायालय में लम्वित सूचि सम्पुष्टि के मामले का स्वंय समीक्षा कर उनके स्थिति का भी प्रतिवेदन विभाग को देंगे।

(कार्रवाई– सभी जिला)

4. <u>महादलित विकास योजना</u> :–

(क) महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वैसे सभी महादलित परिवारों को वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने की योजना है, जो वास विहीन हैं। इस दिशा में सर्वेक्षण भी कराया गया है। सर्वप्रथम सरकारी भूमि/बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत आच्छादित करने के पश्चात शेष बचे परिवारों को क्रयनीति के अन्तर्गत क्रय कर 3 डीसमिल जमीन उपलब्ध कराना है।

वर्ष 2013–2014 तक इस योजना की स्वीकृति है, जिसे दो वर्षो के लिए बढ़ाये जाने तथा न्यूनतम बाजार दर पर क्रय करने का प्रस्ताव है।

निदेश दिया गया कि वैसे महादलित परिवारों को जिनकों अभी तक वास भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनके लिए भूमि का चयन कर लिया जाय तथा उनकी सहमति प्राप्त कर ली जाय ताकि आदेश निकलते ही M.V.R पर क्रय की कार्रवाई प्रारंभ कर एक माह में इसका निष्पादन कराया जा सके।

(कार्रवाई– संबंधित सभी जिला)

(ख) बिहार गृह स्थल क्रयनीति 2011 :–

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गो के सूयोग्य श्रेणी के गृह विहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

इसके लिए सर्वेक्षण का उपबंध/सर्वेक्षण राशि का कर्णांकित किया जाना एवं M.V.R पर क्रय किये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

निदेश दिया गया कि तत्काल अनुसूचित जाति (महादलित छोड़कर) अनुसूचित जन जाति के पिछड़े वर्गो के वास विहीन परिवारों का सर्वेक्षण प्रारंभ कर सूचीबद्ध किया जाय ताकि इस दिशा में अग्रेतर कार्रवाई आदेश प्राप्त होते ही कर दी जाय।

(कार्रवाई– संबंधित सभी जिला)

5. भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण तथा N.L.R.M.P. की प्रगति के संबंध में :–

आधुनिक भू–अभिलेखागार के निर्माण, भू–अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण एवं अन्य संदर्भित विषयों पर भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के स्तर से सभी जिलों की समीक्षा की गयी। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि भू–अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण का कार्य तथा मौजावार किये गये सर्वेक्षण का भौतिक सत्यापन शत–प्रतिशत सम्पन्न करायें।

(क) समीक्षा के दौरान विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा भू–अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता व्यक्त की गई।

जिसके आलोक में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

भू–अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन हेतु Power Point Presentation तैयार कर जिलें को भेजी जा रही है।

(ख) समीक्षा के दौरान यह भी ज्ञात हुआ की विभिन्न अंचलों में अमीन के अभाव के कारण आधुनिक अभिलेखागार–सह–डाटा केन्द्र के निर्माण का कार्य बाधित है।

इस आलोक में सभी समाहर्त्तोओं को निदेशित किया गया की इस तथ्य को समाहर्त्ता के संज्ञान में लाकर आधुनिक अभिलेखागार हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय।

(कार्रवाई– सभी जिला)

6. बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 (बिहार प्रश्रय प्राप्त रैयत बासभूमि अभिधृति अधिनियम) के कार्यान्वयन की स्थिति :–

बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 के अन्तर्गत लम्बित वासगीत पर्चा से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि कई जिलों में काफी मात्रा में बासगीत पर्चा से संबंधित आवेदन लम्बित हैं।

प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी जिलों को अपने ऑकड़े को पुनः जॉच कर शुद्ध कर लेने का निदेश दिया गया और निर्धारित अवधि तक इस संबंध में प्रतिवेदन ई–मेल के द्वारा भेजने का निदेश दिया गया।

बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 के उपलब्ध आँकड़ों को विभागीय बेव साईट पर डालने का निदेश दिया गया तथा सभी जिला उन ऑकड़ों को सत्यापित कर लेंगे एवं यदि कोई संशोधन हो तो उसे सुधार कर लेंगे।

(कार्रवाई– विभाग एवं सभी जिला)

7. जन शिकायत संबंधी आवेदन पत्रों के निष्पादन के संबंध में :–

सभी जिलों को प्रेषित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम/मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त आवेदन पत्र/मुख्य सचिव का जन शिकायत कोषांग/विभागीय मंत्री कोषांग इत्यादि से प्राप्त जन शिकायत संबंधी आवेदन पत्र के निष्पादन की अद्यतन स्थिति का जिलावार व्यौरा प्रदर्शित किया गया। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि जन शिकायत संबंधी प्राप्त सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र निष्पादित कराये। जिन आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है, उसे विभागीय ई–मेल पर शीघ्र भेज दें।

(कार्रवाई– सभी जिला)

8. ए0सी0/डी0सी0 विपत्रों के समायोजन की स्थिति :–

प्रधान सचिव द्वारा ए0सी0 के लम्बित विपत्रों को google drive पर डाल दिया गया है। इससे उन्हें निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम एवं कोड भी मिल सकता है। उनके द्वारा बताया गया कि ए0सी0/डी0सी0 विपत्र को कम्प्यूटर पर शेयर करने का तरीका जिले के आपदा प्रबंधन कार्यालय के कम्प्यूटर ऑपरेटरों से ज्ञात कर लिया जाय। प्रधान सचिव द्वारा ए0सी0 विपत्र जमा होने पर विपत्रों को google drive पर शेयर करने का निदेश दिया गया। जो संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि पटना आते हैं, वे बिना विपत्रों के समायोजन कराये मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

(कार्रवाई– सभी जिला)

9. न्यायालीय मुकदमों का निष्पादन के संबंध में :–

(क) संयुक्त सचिव द्वारा बताया गया कि प्रत्येक माह में एक बार मुख्य सचिव के द्वारा सभी विभागीय प्रधान सचिवों के साथ माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0 वादों की समीक्षा विभागवार की जाती है। इस मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। विभाग के अन्तर्गत कुल 696 सी0डब्लू0जे0सी0 के मामले एवं 78 एम0जे0सी0 के मामले प्रतिशपथ–पत्र/कारण–पृच्छा दायर करने हेतु लम्बित हैं। इन लम्बित मामलों का त्वरित निष्पादन अत्यावश्यक है। उन्होंने निदेश दिया कि एक सप्ताह के अन्दर सभी लम्बित मुकदमों की सही स्थिति ज्ञात कर लिया जाए तथा अधिक–से–अधिक मामलों में प्रतिशपथ–पत्र/कारण–पृच्छा तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित सरकारी अधिवक्ता को भेजा जाए। जिन मामलों में प्रतिशपथ–पत्र/कारण–पृच्छा दायर हो चुके हों तो उसकी शपथ संख्या एवं तिथि विभाग को अविलम्ब फैक्स/ई–मेल द्वारा सूचित कर दिया जाय। बैठक में यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के 10 से 15 तारीख तक लम्वित वादों की अद्यतन स्थिति से विभाग को अवगत कराया जाय।

(ख) प्रधान सचिव द्वारा समीक्षा के दौरान बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय का निदेश है कि दायर याचिका के विरूद्ध यदि 30 दिनों के अन्दर प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया जाता है तो माननीय

न्यायालय द्वारा इसे अवमाननावाद का मामला मानी जायेंगी। इस ससमय पर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर करने का निदेश देते हुए इस तथ्य से अवगत कराया गया कि न्यायालय के अवमानना स्थिति में संबंधित पदाधिकारी पर जिम्मेवारी निर्धारित की जायेंगी।

(ग) मधेपुरा के अपर समाहर्त्ता से पृच्छा की गई कि B.L.D.R Act के अन्तर्गत वाद सं0–498/2012 यशोदा देवी, पति–भूपेन्द्र यादव, ग्राम–खैरपेटी, जिला–मधेपुरा को दखल कब्जा दिलाने के मामले में स्थिति क्या है? से अवगत करावें।

(कार्रवाई– सभी जिला)

10 सेवान्त लाभ :–

संयुक्त सचिव द्वारा बताया गया कि प्रत्येक माह में अलग–अलग मुख्य सचिव, बिहार तथा वित्त विभाग के स्तर से सेवान्त लाभों की प्रगति की गहन समीक्षा की जाती है। आँकड़े अप्राप्त रहने के कारण समीक्षा के दौरान पूरी वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। इस संबंध में विभाग के स्तर से सभी समाहर्त्ता को पत्र भी दिया गया है।

सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि सेवान्त लाभ के मामलों पर विशेष ध्यान देकर उसका त्वरित निष्पादन कराया जाय तथा हर माह की 10 वीं तिथि तक वित्त विभाग द्वारा संधारित विहित प्रपत्र संख्या–I, II, III, IV एवं V में वांछित सूचना स्पष्ट रूप से दर्शाते हुये विभाग को ई–मेल किया जाय तथा इसके अतिरिक्त विशेष दूत द्वारा इसकी हार्ड प्रति विभाग को भेजी जाय। साथ ही सेवान्त लाभ के मामले को गम्भीरता से लेने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया, ताकि सेवान्त लाभ से संबंधित वाद या याचिका कम से कम न्यायालय में दायर हो सकें।

(कार्रवाई– सभी जिला)

11. <u>विभागीय कार्यवाही</u> :–

विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के संदर्भ में बताया गया कि सभी जिलों में कुल 19 मामले लम्बित हैं, जिनमें संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस मामले में भी मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षात्मक बैठक आयोजित की जाती है। उक्त समीक्षात्मक बैठक के दौरान मुख्य सचिव का यह निदेश भी हुआ है कि जिनके समक्ष ऐसे मामले लम्बित हैं, उनपर भी नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

इस संबंध में निदेशित किया गया कि अभियान चलाकर एक माह के अन्दर सभी लम्बित विभागीय कार्यवाहियों में संचालन पदाधिकारी के स्तर से प्रतिवेदन विभाग को भेजवायें ताकि मामलों का निष्पादन हो सके।

(कार्रवाई– विभागीय निगरानी कोषांग एवं सभी संबंधित जिला)

12. <u>विधान मंडलीय कार्य</u> :–

विधान सभा/विधान परिषद् के लम्बित प्रश्न/आश्वासन/निवेदन तथा विशेष रूप से विधान सभा के शून्यकाल के लम्बित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करने का निदेश दिया गया ताकि विधान समितियों की बैठक में विभागीय निष्पादन की स्थिति सुदृढ़ हो सके। अगली बैठक के पूर्व शत प्रतिशत विधान मंडलीय लंबित प्रश्नों/आश्वासनों/निवेदनों/शून्यकाल प्रश्नों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अगली बैठक में

गहन समीक्षा करने का निदेश दिया गया। सभी निदेशालय/प्रशाखा को निदेश दिया गया कि वे अपने पास ऐसे लंबित प्रश्नों जिनका उत्तर अप्राप्त हैं कि छाया प्रति प्रशाखा–10 को शीघ्र उपलब्ध करा दें, जिसे संकलित पर विभागीय **वेव साइट** पर डाला जा सके।

(कार्रवाई– सभी जिला)

13. <u>अमीन एवं राजस्व कर्मचारी</u> :–

समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संविदा के आधार पर वर्त्तमान में विभाग में कार्यरत अधिकांश अमीनों की कालावधि दो वर्षो से अधिक हो चुकी है, प्रधान सचिव द्वारा संविदा के आधार पर अमीनों की सेवा अवधि विस्तार का प्रस्ताव मंत्रिमंडल भेजने का निदेश दिया गया, साथ ही सभी अपर समाहर्त्ताओं से उनके जिले में अमीन एवं राजस्व कर्मचारी की स्थिति से शीध्र अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी जिला)

14. राजस्व कचहरी के भवनों का जीर्णोद्धार हेतु एक नया शीर्ष खोलने का आदेश दिया गया।

(कार्रवाई– विभाग से संबंधित)

15. जिन अंचलों में वाहन उपलब्ध नहीं है उसकी सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश सभी अपर समाहर्त्ताओं को दिया गया। साथ ही ऐसे वाहन जिनका कार्यकाल अवधि समाप्त हो गयी है, परन्तु उसकी निलामी नहीं होने के कारण नया वाहन का क्रय नहीं किया जा रहा है, को नियमानुसार निलामी करने का भी निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी जिला)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

बिहार सरकार
<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>।

ई–मेल फैक्स ज्ञापांकः– 10/सम0अ0स0(बैठक)कार्यवाही– 43/2014 163(10)/रा0, पटना–15, दिनांक :– 20-06-14.

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारीगण/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(उमेश सिंह)
सरकार के उप सचिव।